झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1175 वर्ष 2017

मोसमात लखिया और अन्य .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

राम किशोर सिंह और अन्य .....प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– कोई नहीं

उत्तरदाताओं के लिएः– .....

02/20.11.2018 दूसरी बार पुकारने के बाद भी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उनके तरफ से उपस्थित नहीं हुए।

याचिकाकर्ताओं ने टाइटल सूट नंबर 36/2013 में दिनांक 29.09.2016 के निर्णय को चुनौती दी है। वाद में उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XX नियम 6 और 7 के तहत डिक्री तैयार की गई है, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक–1 द्वारा प्रस्तुत की गई है।

स्पष्ट रूप से, टाइटल सूट नंबर 36/2013 में निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाली भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों में, इस रिट याचिका को डिफॉल्ट में खारिज करने के बजाय, रिट याचिका को पोषणीय नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है, हालांकि, याचियों को सी0पी0सी0 की धारा 96 के तहत अपील करने की स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है।

परिसीमा का प्रश्न, यदि कोई हो, निश्चित रूप से, अपने गुणागुण के आधार पर तय किया जाएगा, यदि याचियों द्वारा टाइटल वाद संख्या 36/2013 में दिए गए निर्णय और डिक्री के खिलाफ परिसीमा की अवधि के बाद अपील की जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)